IX भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी

भुगतान ईकोसिस्टम में तेजी से उन्नत होती प्रौद्योगिकी और नए विकास और नवाचारों के आगमन के साथ रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षता, नवीनता, प्रतियोगिता, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन के पोषण करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। बहुत ही कम समय में आरटीजीएस के चौबीसों घंटे कार्यान्वयन करवाना इस यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे बढ़ते हुए, रिज़र्व बैंक का प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता के लिए डिज़ाइन किए गए स्थायी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए जो लचीलेपन, विश्वसनीयता, सुरक्षा, अखंडता और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

IX.1 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विज़न 2019-2021 दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित भुगतान प्रणालियों के नियोजित विकास की दिशा में काम करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक का प्राथमिक ध्यान था (i) डिजिटल व्याप्तता की सुविधा ; (ii) नवीन भुगतान विकल्प प्रस्तुत करना; (iii) कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले अवरोधों के बावजूद सुचारू संचालन सुनिश्चित करना; और (iv) डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ता जागरूकता अभियान आयोजित करना जो "कम-कैश" समाज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने कोविड -19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में और तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। रिज़र्व बैंक ने अपने आईसीटी अवसंरचना को अगली पीढ़ी के एप्लीकेशनों के लिए संचालित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें परिचालनगत उत्कृष्टता, लचीलापन, स्केलेबिलिटी और सुरक्षा के लिए एक इनबिल्ट आर्किटेक्चर है।

IX.2 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में निम्न खंड वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में विकास को कवर करता है और 2020-21 के एजेंडा के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायजा लेता है। खंड 3 में वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित एजेंडा की तुलना में वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपाय प्रस्तुत करता है। इन विभागों ने भी 2021-22 के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। अध्याय को अंत में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.3 रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-2021 दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, दक्षता, नवाचार, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन पर सतत जोर देने के साथ भुगतान के ईकोसिस्टम में विभाग द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न पहल की गई थीं। मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा था कि पूरे देश में भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के माध्यम से भुगतान प्रणालियों की व्याप्ति को बढ़या जाए और नवीन भुगतान विकल्पों को पेश करके भुगतान प्रणाली की पहुँच को और भी अधिक बढ़ाया जाए। देश के विभिन्न स्थानों में अलग-अलग तीव्रता और अवधि के साथ कोविड -19 लॉकडाउन के कारण संसाधनों की आवाजाही और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में अवरोध के बावजूद सभी भुगतान प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किए गए। कुछ भुगतानों को डिजिटल भुगतान करते समय महामारी की सामाजिक दूरी और न्यूनतम-संपर्क आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल बनाया गया था। रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता में सुधार लाने के लिए केंद्रित अभियान चलाया और यह सुनिश्चित करने

के लिए उपाय किए कि उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाए। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट के साथ डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि के साथ वर्ष के दौरान "कम नकदी" की यात्रा जारी रही।

भुगतान प्रणाली

IX.4 भुगतान प्रणाली ने 2020-21 के दौरान वॉल्यूम के संदर्भ में 26.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष में 44.2 प्रतिशत के विस्तार के शीर्ष पर थी। मूल्य के संदर्भ में, संकुचन की प्रवृत्ति जो पिछले वर्ष (-1.2 प्रतिशत) में शुरू हुई थी, और बढ़कर इसमें 13.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण था बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणाली में कम वृद्धि, उदाहरणार्थ रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली और कागज आधारित लिखतों के लेनदेन में कमी। आरटीजीएस में लेन-देन के मूल्य की गिरावट का कारण मुख्य रूप से कम हुई आर्थिक गतिविधियां हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-नकद खुदरा भुगतानों की कुल मात्रा में डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी बढ़कर 98.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 97.0 प्रतिशत थी (तालिका IX.1)।

तालिका IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक टर्नओवर (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7
क. सेटलमेंट सिस्टम						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियां	36	36	28	11,65,51,038	13,41,50,192	16,19,43,141
ख. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस खुदरा खंड	**1,366**	**1,507**	**1,592**	**13,56,88,187**	**13,11,56,475**	**10,55,99,849**
2. क्रेडिट ट्रांसफर	**1,18,481**	**2,06,506**	**3,17,852**	**2,60,90,471**	**2,85,62,857**	**3,35,22,150**
2.1 एईपीएस (फंड ट्रांसफर)	11	10	11	501	469	623
2.2 एपीबीएस	14,949	16,766	14,373	86,226	99,179	1,12,747
2.3 ईसीएस सीआर	54	18	0	13,235	5,145	0
2.4 आईएमपीएस	17,529	25,792	32,783	15,90,257	23,37,541	29,41,500
2.5 एनएसीएच सीआर	8,834	11,290	16,450	7,29,673	10,43,212	12,32,714
2.6 एनईएफ़टी	23,189	27,445	30,928	2,27,93,608	2,29,45,580	2,51,30,910
2.7 यूपीआई	53,915	1,25,186	2,23,307	8,76,971	21,31,730	41,03,658
3. डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट	**4,914**	**7,525**	**10,456**	**5,24,556**	**7,19,708**	**8,72,552**
3.1 भीम आधार पे	68	91	161	815	1,303	2,580
3.2 ईसीएस डीआर	9	1	0	1,260	39	0
3.3 एनएसीएच डीआर	4,830	7,340	9,630	5,22,461	7,18,166	8,68,906
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से लिंक)	6	93	650	20	200	913
4. कार्ड भुगतान	**61,769**	**72,384**	**57,841**	**11,96,888**	**14,34,814**	**12,93,822**
4.1 क्रेडिट कार्ड	17,626	21,773	17,641	6,03,413	7,30,895	6,30,414
4.2 डेबिट कार्ड	44,143	50,611	40,200	5,93,475	7,03,920	6,62,667
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**46,072**	**53,318**	**49,392**	**2,13,323**	**2,15,558**	**1,97,695**
6. कागज आधारित लिखत	**11,238**	**10,414**	**6,704**	**82,46,065**	**78,24,822**	**56,27,189**
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,42,473	3,50,147	4,42,229	3,62,71,303	3,87,57,759	4,15,12,514
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,43,839	3,51,654	4,43,821	17,19,59,490	16,99,14,234	1471,12,363
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**2,32,602**	**3,41,240**	**4,37,118**	**16,37,13,425**	**16,20,89,413**	**14,14,85,173**

नोट : 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार और रेपो लेनदेन की दोनों लेग्स और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं। 5 नवंबर 2018 से, सीसीआईएल ने सीबीएलओ को बंद कर दिया और प्रतिभूति खंड के तहत त्रिपक्षीय रेपो का संचालन आरंभ कर दिया है।
3. कार्ड के लिए आंकड़े बिक्री के बिंदु पर भुगतान लेनदेन (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन के लिए हैं।
4. संख्याओं को पूर्ण अंक बनाने के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़े कुल संख्या से मेल नहीं खाएगी।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट IX .1 : डिजिटल भुगतान में वर्षानुवर्ष वृद्धि

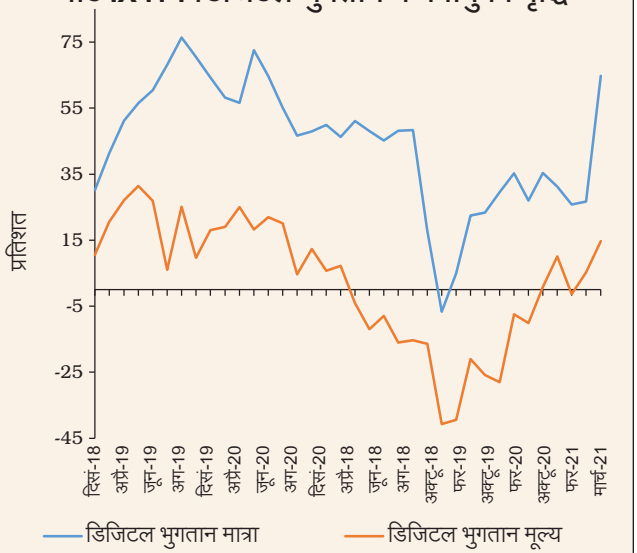

स्रोत : आरबीआई

IX.5 कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के परिणामस्वरूप इसके प्रारंभिक चरण के दौरान भुगतान में गिरावट आई। हालांकि, भुगतान का मूल्य और मात्रा बाद में लॉकडाउन में क्रमिक छूट के साथ बढ़ गया (चार्ट IX.1)।

डिजिटल भुगतान

IX.6 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के बीच, वर्ष के दौरान आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लेनदेन की संख्या में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मूल्य ₹ 1,056 लाख करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में पिछले वर्ष से 19.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जो कि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि में मंदी के साथ कॉर्पोरेट्स के बड़े मूल्य के लेन-देन में कमी थी। मार्च 2021 के अंत में, 227 बैंकों की 1,75,947 शाखाओं के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 12.7 प्रतिशत बढ़ा। मार्च 2021 के अंत में, एनईएफटी सुविधा 225 बैंकों की 1,75,283 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध थी।

IX.7 2020-21 के दौरान, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए कार्ड भुगतान लेनदेन की संख्या क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत घट गई। इसके परिणामस्वरूप इसी अवधि के दौरान क्रेडिट कार्ड लेनदेन के मूल्य में 13.7 प्रतिशत और डेबिट कार्ड के लेनदेन में 5.9 प्रतिशत की कमी आई। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) में एक साल पहले 15.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष के दौरान मात्रा में 7.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था, जबकि 1.97 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन मूल्य पिछले साल 8.3 प्रतिशत कम था। मार्च 2021 के अंत तक पॉइंट्स ऑफ़ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 6.5 प्रतिशत बढ़कर 47.20 लाख और भारत क्विक रिस्पांस (बीक्यूआर) कोड की संख्या 76.0 प्रतिशत बढ़कर 35.70 लाख हो गई। इसके अलावा एटीएम की संख्या मार्च 2020 के अंत में 2.34 लाख से 2.0 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2021 के अंत में में 2.38 लाख हो गई।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकरण

IX.8 पेमेंट्स सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई जारीकर्ता, क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क, इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू) शामिल हैं [टेबल IX.2]।

तालिका IX.2 : भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का प्राधिकरण (मार्च के अंत में)

(संख्या)

संस्थाएं	2020	2021
1	2	3
क. गैर-बैंक - प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	43	36
डबल्यूएलए ऑपरेटर्स	8	4
त्वरित धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	9	8
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स	3	3
क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑपरेटर्स	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
ख. बैंक - स्वीकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	62	56
बीबीपीओयू	39	42
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	540	566
एटीएम नेटवर्क	3	3

नोट : तीन गैर-बाए पीपीआई जारीकर्ताओं के संबंध में प्राधिकरण के प्रमाणपत्र (सीओए) की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। एक पीपीआई जारीकर्ता ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि तीन गैर-पीपीआई जारीकर्ता स्वेच्छा से अपने सीओए के समर्पण की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। दो डब्लूएलएओ के सीओए को निरस्त कर दिया गया, एक डब्लूएलएओ बंद कर दिया गया और एक डब्लूएलएओ एक बीबीपीओयू के साथ स्वेच्छा से सीओए के समर्पण की प्रक्रिया के अंतर्गत है। सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों के समामेलन के परिणामस्वरूप, बैंक पीपीआई की संख्या कम हो गई है।

स्रोत : आरबीआई

2020-21 के लिए एजेंडा : कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.9 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ***स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना***

  - *ऑफलाइन भुगतान प्रणाली* : मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफ़लाइन भुगतान और डिजिटल भुगतान मोड को बढ़ावा देने के लिए कार्ड पर संग्रहीत भुगतान घटक उपलब्ध कराए जाएंगे, और योजना के पूर्ण रोल-आउट के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए एक पायलट योजना का परीक्षण किया जाएगा (पैरा IX.11)।

- ***ग्राहक सुविधा में सुधार***

  - *ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर): विभिन्न भुगतान प्रणालियों में ओडीआर प्रणाली को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तावित किया जाना है, जो सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों (उत्कर्ष) के लिए असफल लेनदेन के लिए कार्यान्वयन से शुरू होता है [पैरा IX.16];*

  - *स्व-नियामक संगठन: भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 फरवरी 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार विनियामक / पर्यवेक्षक के साथ संलग्न करने और पीएसओ के लिए नियमों को बनाने और लागू करने के लिए उत्तरदायी के रूप में एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के सृजन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना जो कि औपचारिक हो जाएगा (पैरा IX.17); तथा*

  - *पैन-इंडिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम: सभी एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीसीएस) केंद्रों को बैंकों द्वारा चेक संग्रह सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) ग्रिड के साथ विलय कर दिया जाएगा (पैरा IX.18)।*

- ***वहन करने योग्य कीमत सुनिश्चित करना***

  - *लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई)* : सीमा पार सेवाओं के संबंध में भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों, एजेंटों और वितरकों की पहचान करने के लिए एलईआई का उपयोग , विशेष रूप से बड़े मूल्य भुगतानों के लिए, जिसमें सभी पहचाने गए क्षेत्रों में कार्यान्वयन का विस्तार करना शामिल है (पैरा IX. 23)।

- ***बढ़ता हुआ आत्मविश्वास***
  - o *डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स* : रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक समय-समय पर एक समग्र "डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (डीपीआई)" [पैरा IX.25] का प्रकाशन और सृजन करेगा।

लक्ष्य की कार्यान्वयन स्थिति

IX.10 : में 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली : विजन 2019-21' में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने अपने विज़न को प्राप्त करने के लिए चार लक्ष्यों की पहचान की थी *उदाहरणार्थ* प्रतियोगिता, लागत, सुविधा और विश्वास।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

ऑफलाइन भुगतान प्रणाली

IX.11 रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत पीएसओ - बैंकों और गैर-बैंकों - को अनुमति प्रदान की ऑफलाइन या डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने वाले तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए दूरस्थ या निकटता भुगतान के लिए कार्ड, वालेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान सल्यूशन्स के लिए एक पायलट योजना संचालित करने की अनुमति दी। ऑफ़लाइन भुगतान करने के लिए ऐसे विकल्पों की उपलब्धता से डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में, या अनियमित, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति से बाधित हैं। पायलट योजना के पूरा होने के बाद, रिज़र्व बैंक प्राप्त अनुभव के आधार पर ऑफ़लाइन भुगतान प्रणाली लागू करने का निर्णय करेगा।

खुदरा भुगतान के लिए एक अखिल भारतीय अम्ब्रेला संस्था के प्राधिकरण के लिए लिए फ्रेमवर्क

IX.12 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय अम्ब्रेला संस्था स्थापित करने में रुचि रखने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड, दायरे और शासन संरचना को निर्धारित करते हुए एक रूपरेखा जारी की। प्राधिकरण के लिए आवेदनों को 26 फ़रवरी 2021 तक प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा थी जिसे एक माह के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया था।

सप्ताह के सभी दिनों में भुगतान प्रणालियों के निपटान फ़ाइलों की पोस्टिंग को सक्षम करना

IX.13 24x7 आधार पर आरटीजीएस के संचालन के साथ, रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को 3 जनवरी 2021 से सप्ताह के अंत के साथ-साथ छुट्टियों में निपटान के लिए उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों की अतिरिक्त निपटान फाइलें पोस्ट करने की अनुमति दी। इस उपाय के फलस्वरूप निपटान हेतु लंबित कार्य और सहायक भुगतान प्रणालियों में डिफ़ॉल्ट जोखिमों को कम करने में मदद मिली और इसने सदस्य बैंकों द्वारा धन के बेहतर प्रबंधन को सक्षम किया, जिससे कारण भुगतान ईकोसिस्टम की समग्र दक्षता में वृद्धि हुई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एस्क्रो खाते का रखरखाव

IX.14 रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता और भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को एक अलग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अतिरिक्त एस्क्रो खाते को बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। इस उपाय से जोखिम में विविधता लाने और व्यापार निरंतरता चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है।

इंटर- रेगुलेटरी और इंट्रा – रेगुलेटरी समन्वयन

IX.15 रिज़र्व बैंक ने दो अलग-अलग समितियों की स्थापना अर्थात (i) इंटर- रेगुलेटरी समिति जिसमें क्षेत्रीय नियामक अधिकारियों, *अर्थात्,* भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और दूरसंचार विभाग (डीओटी); और (ii) इंट्रा – रेगुलेटरी समिति जिसमें रिज़र्व बैंक के विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी विभाग शामिल हैं। समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनियमन के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करें, संघर्ष को दूर करें और सिस्टम ऑपरेटर को राहत दें / ग्राहक की सुविधा का ध्यान रखें।

ग्राहक की सुविधा में सुधार

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)

IX.16 रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत पीएसओ को सूचित किया था कि वे दिनांक 1 जनवरी 2021 तक अपनी संबंधित भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन से संबंधित विवादों और शिकायतों के लिए एक ओडीआर प्रणाली को लागू करें। ओडीआर प्रणाली के सृजन की अवधारणा एक ऐसे तंत्र के रूप में की गई थी जो कि नियम-आधारित प्रौद्योगिकी-संचालित ग्राहक-अनुकूल तंत्र के रूप में शून्य या न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ ग्राहक की शिकायतों और विवादों का निपटान करेगा। यह ग्राहकों के लिए एक त्वरित, सस्ती और सुलभ विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करेगा। डिजिटल लेनदेन में कई गुना वृद्धि के कारण ग्राहक शिकायतों में वृद्धि की संभावना के साथ, विवाद / शिकायतों को निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता को ओडीआर प्रणाली खत्म कर देगी।

स्व-नियामक संगठन (एसआरओ)

IX.17 रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को पीएसओ के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए एक रूपरेखा जारी की। एसआरओ ग्राहक की सुरक्षा और नैतिकता और व्यावसायिक मानक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिसमें बड़ी चिंताओं को संबोधित करने, जैसे कि ग्राहकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करना और सदस्यों, उद्योग और ईकोसिस्टम के समग्र विकास के लिए प्रयास करना शामिल है, उद्योग में सदस्य संस्थाओं के संचालन से संबंधित नियमों और मानकों को लागू करेगा।

पैन- इंडिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस)

IX.18 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि अखिल भारतीय सीटीएस को परिचालनरत किया जाएगा। तदनुसार, देश भर में सभी 1,219 ईसीसीएस क्लियरिंग हाउसों ने अपने चेक क्लियरिंग ऑपरेशन स्वेच्छा से बैंकर समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम एवं नियम (यूआरआरबीसीएच) के विनियम 25 के अंतर्गत सीटीएस ग्रिड में स्थानांतरित हो दिए। इसके अलावा, सीटीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने और बैंक शाखा के किसी भी स्थान में होने के बावजूद एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनकी सभी शाखाएँ 30 सितंबर, 2021 तक छवि आधारित सीटीएस में भाग लें।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम की 24x7 उपलब्धता

IX.19 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2020 को 00:30 बजे से आरटीजीएस प्रणाली को 24x7 और साल के सभी दिनों में उपलब्ध कराया। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया है जहाँ आरटीजीएस प्रणाली पूरे वर्ष में चौबीसों घंटे काम करती है। आरटीजीएस की राउंड द क्लॉक उपलब्धता ने व्यवसायों को भुगतान करने और सहायक भुगतान प्रणालियों में अतिरिक्त निपटान चक्रों को सक्षम करने के लिए विस्तारित लचीलापन प्रदान किया है।

डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करना

IX.20 रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया कि मौजूदा प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड में माइग्रेट हो जाएंगे और इसके बाद प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड जारी नहीं किए जाएंगे। यह अपेक्षा है कि ये उपाय स्वीकृति संबढ़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और इंटरऑपरेबिलिटी के कारण ग्राहक सुविधा में वृद्धि होगी और यह प्रणाली दक्षता को बढ़ाएगा।

संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन - प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट (एएफए)

IX.21 रिजर्व बैंक ने *प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए)* की आवश्यकता के बिना नियर फील्ड कम्यूनिकेशन समर्थित ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग करते हुए संपर्क रहित लेनदेन (जिसे टैप और पे लेनदेन के रूप में भी जाना जाता है) के लिए अनुमोदित प्रति लेनदेन सीमा को ₹ 2,000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 कर दिया है। कोविड -19 महामारी ने संपर्क रहित लेनदेन के लाभों को रेखांकित किया और उपभोक्ताओं को उपलब्ध पर्याप्त

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा को बढ़ाया गया था। बढ़ी हुई सीमा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई।

बार-बार होने वाले लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

IX.22 रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि इस तरह के बार-बार किए जाने वाले लेनदेन (घरेलू और सीमा पारीय) के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क का अनुपालन न करने वाली व्यवस्थाओं / प्रथाओं के अंतर्गत कार्ड / पीपीआई / यूपीआई का उपयोग करते हुए बार-बार किए गए लेनदेन का प्रसंस्करण 30 सितंबर 2021 के बाद नहीं किया जा सकेगा।

सस्ती लागत सुनिश्चित करना

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (लेई)

IX.23 एलईआई नंबर दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन में शामिल पार्टियों की विशिष्ट पहचान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार आता है और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित होता है। भारत में एलईआई को ओवर दि काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न बाजारों के प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लाया जा रहा है और बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं लिए भी लाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, जैसे, आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करके इकाइयों (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए मूल्य ₹ 50 करोड़ और ऊपर के सभी भुगतान लेनदेन के लिए एलईआई संख्या को लाने का निर्णय लिया।

पीआईडीएफ का कार्यान्वयन

IX.24 रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में पीआईडीएफ़ को आरंभ किया ताकि अधिग्राहकों को टियर -3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को लगाया जा सके। रिजर्व बैंक ने पीआईडीएफ़ और कार्ड नेटवर्क के प्रारंभिक कोष के लिए ₹ 250 करोड़ का योगदान किया और कार्ड जारी करने वाले बैंकों ने लगभग ₹ 200 करोड़ का योगदान दिया है। इसके अलावा कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा बकाया कार्ड के आधार पर छमाही आधार पर आवर्ती योगदान दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष डिजिटल भुगतान के लिए 30 लाख नए टच पॉइंट सृजित करने की परिकल्पना की गई है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी गवर्नर की अध्यक्षता में पीआईडीएफ़ के प्रबंधन और शासन के लिए एक सलाहकार परिषद गठित की गई है जिसमें कार्ड नेटवर्क के प्रतिनिधि, कार्ड भुगतान उद्योग, आईबीए और नाबार्ड शामिल है।

ग्राहक विश्वास बढ़ाना

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.*25* देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक समग्र डीपीआई का निर्माण और प्रकाशन किया (बॉक्स*IX.1)*।

सीटीएस के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली

IX.26 चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने मूल्य ₹50,000 और उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिक की अवधारणा की घोषणा की है। इस तंत्र के तहत, चेक को अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाता है, जो कि उसके ग्राहकों द्वारा चेक को जारी करने के समय दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। पॉजिटिव पे प्रणाली 1 जनवरी 2021 से लागू की गई थी।

पीएसओ को जारी किए गए सीओए के लिए स्थायी वैधता

IX.27 रिज़र्व बैंक ने सभी पीएसओ (नए और मौजूदा दोनों) के लिए सामान्य स्थितियों के अधीन स्थायी आधार पर प्राधिकरण देने का फैसला किया। मौजूदा प्राधिकृत पीएसओ के लिए स्थायी वैधता प्रदान किए जाने की जांच तब की जाएगी जब उसके नवीनीकरण समय आएगा बशर्ते वह निर्दिष्ट शर्तों का पालन करे। स्थायी प्राधिकरण की अनुमति देते समय, रिज़र्व बैंक ने ऑनसाइट निरीक्षण और ऑफ़साइट निगरानी और निगरानी तंत्र के माध्यम से विनियमित संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मजबूत प्रणाली पर भरोसा किया है। यह उपाय लाइसेंस अनिश्चितताओं को कम करेगा और पीएसओ को अपने व्यापार

बॉक्स IX.1
भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई -डीपीआई)

हाल के दिनों में, भारत में भुगतान ईकोसिस्टम ने कई विकास देखे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई भुगतान प्रणालियों और प्लेटफार्मों, भुगतान उत्पादों और सेवाओं जो उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे व्यक्ति, फर्म, कॉर्पोरेट, सरकार या अन्य आर्थिक एजेंट हों। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए और उन बाधाओं और क्षेत्रों को भी समझने के लिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, रिज़र्व बैंक अपने भुगतान प्रणाली विज़न को तीन वर्षों के अंतराल पर निरूपण करता है, भुगतान प्रणालियों के प्रदर्शन से संबंधित आवधिक डेटा / आंकड़े जारी करता है और वैश्विक मानक सेटिंग निकाय जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और भुगतान और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समिति (सीपीएमआई) की चर्चाओं / बैठकों में भाग लेने के साथ -साथ सर्वेक्षण करवाता है।

इस निरंतरता में, देश में भुगतान ईकोसिस्टम के संपूर्ण विस्तार को कवर करते हुए एक समग्र सूचकांक का निर्माण करके समय के साथ डिजिटल भुगतान वृद्धि को मापना और प्रभावित करना अनिवार्य है। तदनुसार, डीपीआई की कल्पना की गई है, जो कि इसके निर्माण के लिए सांख्यिकीय और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक उपकरण अपनाकर किया गया। सैद्धांतिक रूप से, सूचकांक स्कोर समय, भौगोलिक स्थान या अन्य विशेषताओं के संबंध में एक वेरिएबल या संबंधित वेरिएबल के समूह में परिवर्तन को मापने की एक तकनीक है। यह पिछली अवधि के आधार पर वेरिएबल या वेरिएबल के समूह में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है जिसे आधार अवधि कहा जाता है।

रिज़र्व बैंक (आरबीआई-डीपीआई) द्वारा निर्मित डीपीआई, अपनी तरह का पहला सूचकांक है और देश भर में डिजिटल भुगतान के प्रसार और गहनता को मापने के लिए एक स्कोर के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसे कैप्चर करने के लिए, आरबीआई-डीपीआई के पाँच व्यापक पैरामीटर हैं, जो बदले में सब-पैरामीटर और संकेतक हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए उचित भार के साथ डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम में उनके सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए नीचे दिखाया गया है (तालिका 1)।

तालिका 1: आरबीआई-डीपीआई के अंतर्गत व्यापक पैरामीटर

मापदंड	वजन (प्रतिशत)	संकेतक
1	2	3
1. पेमेंट एनबलर	25	इन्टरनेट उपयोगकर्ता, मोबाइल उपयोगकर्ता, आधार संख्या, बैंक खाते, डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदाता और भुगतान प्रणाली के सदस्य
2. पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फ़ैक्टर्स	10	जारी किए गए भुगतान और अन्य लिखत, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण और फास्टैग्स।
3. पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - सप्लाई-साइड फ़ैक्टर्स	15	फिजिकल और डिजिटल भुगतान स्वीकृति अंक और भुगतान इंटर्मीडियरीज
4. भुगतान प्रदर्शन	45	विभिन्न भुगतान प्रणालियों की मात्रा और मूल्य, ऐसी प्रणालियों में विशिष्ट उपयोगकर्ता, चेक लेनदेन, कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी और नकद अनुमान।
5. उपभोक्ता केंद्रितता	5	उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा संबंधी पहल, गिरावट, शिकायत, धोखाधड़ी और सिस्टम डाउनटाइम।

स्रोत : आरबीआई

हाल के दिनों में भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए (पीरियड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और भुगतान प्रणाली विज़न 2021) मार्च 2018 को आधार अवधि के रूप में लिया गया है (*अर्थात,* मार्च 2018 के लिए आरबीआई-डीपीआई स्कोर को 100 के रूप में सेट किया गया है)। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमश: 153.47 और 207.84 थी, जो उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। आगे बढ़ते हुए आरबीआई-डीपीआई को मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के साथ अर्ध वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ विनियामक संसाधनों के उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण – कूलिंग पीरियड का परिचय

IX.28 रिज़र्व बैंक ने कुछ स्थितियों में कूलिंग पीरियड की अवधारणा प्रस्तुत की, जैसे कि नवीकरण या गैर-नवीकरण, स्वैच्छिक सरेंडर और सीओए प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति। यह अवधारणा किसी नई इकाई पर भी लागू होगी, जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी प्रवर्तकों द्वारा स्थापित की गई है। यह उपाय गंभीर प्लेयर्स को अनुशासित करने और आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और विनियामक संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह निर्णय लिया गया कि कूलिंग अवधि आवेदन के स्वैच्छिक

सरेंडर/अस्वीकृति, जैसा लागू हो के निरसन/गैर-नवीकरण/ स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी और इस अवधि के दौरान संस्थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के तहत किसी भी भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए आवेदन जमा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) और भुगतान गेटवे (पीजी) के विनियमन पर दिशानिर्देश

IX.29 पीए और पीजी के विनियमन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के संदर्भ में , पीए ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल को अपने डेटाबेस या सर्वर [*अर्थात* कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] में संग्रहीत नहीं कर सकते हैं । इसी तरह, उनके ऑन-बोर्ड व्यापारी अपने ग्राहकों के भुगतान डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक बार के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पीए द्वारा पूर्वोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए समयसीमा को छह महीने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

अन्य गतिविधियां

यूपीआई / रूपे अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच पहल

IX.30 रिजर्व बैंक ने अपने भुगतान प्रणालियों के वैश्विक आउटरीच के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें धन प्रेषण सेवाएं भी शामिल हैं। अन्य अधिकार क्षेत्रों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी प्रदान करने के लिए यूपीआई की क्षमता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अन्य केंद्रीय बैंकों को एक कुशल और सुरक्षित प्रणाली के रूप में यूपीआई की विशेषताओं॥ पर प्रकाश डालते हुए लिखा, जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर खुदरा भुगतान तंत्र को बदलने के लिए किया जा सकता है और साथ ही इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जहां प्रतिभागियों को सीमा पारीय लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई प्रणाली का लाभ उठाने की संभावना थी।

भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण

IX.31 2020-21 के दौरान, 32 संस्थाओं, *अर्थात्,* सीसीआईएल, 26 पीपीआई जारीकर्ता, एक एटीएम नेटवर्क, एक डबल्यूएलए ऑपरेटर और तीन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर का ऑनसाइट निरीक्षण / ऑफसाइट आकलन पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.32 रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत सीसीआईएल का ऑनसाइट निरीक्षण किया था। भुगतान और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समिति – प्रतिभूति आयोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई – आईओएससीओ) द्वारा तैयार किए गए 24 प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंसियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीएफ़एमआई) के संबंध में सीसीआईएल का मूल्यांकन किया गया था। केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के रूप में सीसीआईएल को 17 सिद्धांतों के संबंध में दर्जा 'अवलोकन' दिया गया था और तीन के लिए 'मोटे तौर पर देखा गया' था जबकि चार इसके संबंध में 'लागू नहीं' थे। ट्रेड रिपोजीटरी (टीआर) के रूप में सीसीआईएल को 10 सिद्धांतों के संबंध में दर्जा 'अवलोकन' दिया गया था और एक के लिए 'मोटे तौर पर देखा गया' था जबकि 13 इसके संबंध में 'लागू नहीं' थे।

सीसीआईएल में विकास

IX.33 वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सीसीआईएल ने अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया। मुंबई में 12 अक्टूबर, 2020 को बिजली आउटेज के दौरान भी परिचालन में कोई व्यवधान नहीं था। रुपये के डेरिवेटिव और फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट में विस्तारित क्लियरिंग सदस्यता संरचना को सीसीआईएल ने क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया और पूर्व वित्त पोषित संसाधनों की विशिष्ट सीमा से अधिक स्ट्रेस लॉस होने पर डिफ़ॉल्ट फंड के लिए अतिरिक्त महीने का अतिरिक्त योगदान दिया। सीसीआईएल ने आंतरिक रेटिंग के आधार पर कम सीमा तय करके और कमजोर संस्थाओं के लिए हेयर कट दर को बढ़ाकर जोखिम प्रबंधन में सुधार किया; और बैंक ग्राहकों के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बुकिंग और कैंसिलिंग सुविधा शुरू करने के अलावा एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को बढ़ाया, साथ ही नेगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम (ऑर्डर मैचिंग) पर 'रिक्वेस्ट फॉर

कोट' (आरएफ़क्यू) मॉड्यूल का परिचालन किया।

ई-बात कार्यक्रम और जागरूकता अभियान

IX.34 रिज़र्व बैंक ग्राहकों / बैंकरों / छात्रों / जनता के सभी वर्गों के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न रूपों में धन की भौतिक उपस्थिति की बजाय इलेक्ट्रॉनिक धन भुगतान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जनता को शिक्षित करना था। जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 178 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों पर वित्तीय साक्षरता, उनके लाभ और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को प्रतिभागियों जिनमें बैंक कर्मचारी, ग्राहक, छात्र, आम आदमी शामिल थे, उन्हें समझाया गया था।

IX.35 रिज़र्व बैंक ने सभी अधिकृत पीएसओ और उनके प्रतिभागियों को सूचित किया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और प्रति रक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया में एसएमएस और विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियानों का संचालन करें।

IX.36 आरोग्य सेतु कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है। आम जनता के लिए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सभी अधिकृत पीएसओ को अपनी वेबसाइट और ऐप पर एक बैनर प्रदर्शित करने की सलाह दी, ताकि अधिकतम डाउनलोड को प्रोत्साहित किया जा सके।

पेमेंट सिस्टम बुकलेट

IX.37 रिज़र्व बैंक ने सहस्राब्दी के दूसरे दशक जो कि 2010 की शुरुआत से 2020 के अंत तक है, के दौरान भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों की यात्रा को कवर करते हुए 'बुकलेट ऑन पेमेंट सिस्टम' जारी किया। इस बुकलेट में भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन का वर्णन किया गया है, और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणालियों को रेखांकित करने वाला कानूनी और नियामक वातावरण, विभिन्न समर्थकों, उपभोक्ताओं को उपलब्ध विभिन्न भुगतान विकल्प और इसे अपनाने की सीमा।

फिनटेक-आर एलीटेड एक्टिविटीज

IX.38 भारतीय फिनटेक उद्योग जैसा कि आज खड़ा है, भारत के तकनीकी समर्थकों, विनियामक हस्तक्षेपों, व्यापार के अवसरों के साथ-साथ कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताओं के अनूठे संयोजन का परिणाम है, जिसने दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट -अप ईकोसिस्टम की [1]। जैसा कि कोविड-19 महामारी ने अनिश्चितता पैदा करना जारी रखा, कुछ फिनटेक के लिए तनाव पैदा हो गया है, जबकि कुछ अन्य ने महामारी से प्राप्त नए व्यापारिक अवसरों लाभ उठाय। तथापि, जैसा कि व्यापक अर्थव्यवस्था "रिस्पोंड" से "रिकवर" की ओर चली जाती है, रोजगार के नए अवसर कुछ फिनटेक (बॉक्स IX.2) द्वारा सृजित किए जा सकते हैं।

रिजर्व बैंक इनोवेशन हब

IX.39 रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए की जाएगी, जो नवाचार को बढ़ावा देगा। तदनुसार, आरबीआईएच को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत कंपनी के रूप में गठित किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। आरबीआईएच का मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, इंफोसिस के सह-संस्थापक और पूर्व सह-अध्यक्ष

[1] स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल, भारत सरकार।

बॉक्स IX.2

फिनटेक एक्टिविटी इन इंडिया: कोविड-19 के दौरान फंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रुझान

पिछले एक साल में, कोविड -19 महामारी ने सामाजिक भेद और घर से काम की संस्कृति को व्यापक रूप से अपनाने के बीच प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाया है। हालांकि कई आर्थिक और वित्तीय संकेतकों ने 2020 तक गिरावट दर्ज की, लेकिन स्टार्ट-अप के प्रति उत्साह में तेज गिरावट नहीं आई है। वास्तव में कई लोगों का मानना है कि इस ब्लैक स्वान इवेंट से रचनात्मक व्यवधान पैदा होगा, जिसमें नए विचारों के प्रति निवेश का पुनर्संयोजन होगा। ट्रैक्सन के डेटा से पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, 56.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश फिनटेक सेक्टर में 2020-21 (अप्रैल-मार्च) के दौरान किया गया था, जबकि 2019 में यह 84.8 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2018 में 77.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अमेरिका और कनाडा नई कंपनियों के लिए अग्रणी रहा, उसके बाद यूरोप का स्थान था।

महामारी के कारण स्टार्ट-अप इको-सिस्टम में एक बड़े बदलाव का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भुगतान, ई-कॉमर्स और एड-टेक जैसे उप-क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं(आर्थिक टाइम्स, 2020)। 2020 -21 में लगभग अमेरिका 3 बिलियन अमरीकी डॉलर भारतीय फिनटेक (लगभग 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर पिछले वर्ष) में निवेश किया गया था जो आर्थिक मंदी के कारण निवेशक की भावनाओं की टेम्परिंग दर्शाता है [चार्ट 1, (ट्रैक्सन, 2021)]। फिर भी, जैसे कि महामारी के आर्थिक झटके समाप्त हो रहे हैं, मासिक रुझान दर्शाता है कि निवेशकों की भावना में सुधार हुआ है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के अलावा, फिनटेक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे सकता है (फिलिप्पन, 2017, सहाय *एट अल.*, 2020)। यादृच्छिक-प्रभाव पैनल डेटा मॉडल का उपयोग करके भारतीय फिनटेक में रोजगार के रुझानों का अनुभवजन्य विश्लेषण कुछ दिलचस्प दृष्टिकोण (तालिका 1) प्रदान करता है। कंपनी स्केल और फंडिंग स्टेज के लिए उपयुक्त नियंत्रण के साथ, यह

चार्ट 1 : भारत में फिनटेक वित्तपोषण

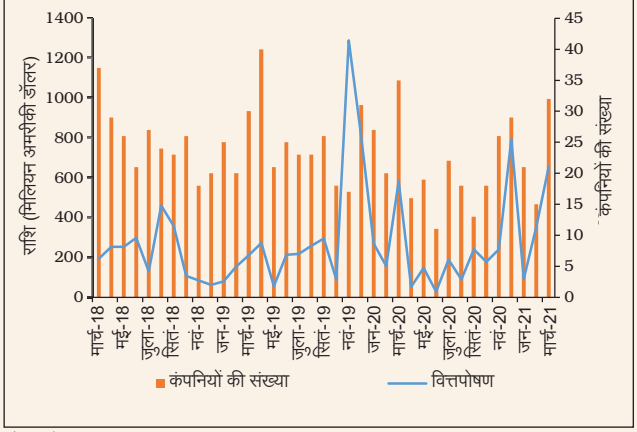

स्रोत : ट्रैक्सन 2021

तालिका 1: पैनल डेटा अनुमान परिणाम

आश्रित चर: कर्मचारी गणना	मॉडल 1 गुणांक (एसटीडी. त्रुटि)	मॉडल 2 गुणांक (एसटीडी. त्रुटि)
1	2	3
जुटाया गया धन (वर्तमान तिमाही)	0.00000741*** (0.00000124)	0.00000715*** (0.00000124)
फंडिंग राउंड स्टेज		
सीड	-90.8 (131.2)	-90.7 (131.2)
श्रृंखला ए	-164.1 (140.3)	-149.7 (140.6)
श्रृंखला बी	-217.1 (154.4)	-199.5 (154.7)
श्रृंखला सी	-45.5 (174.6)	-36.7 (174.9)
श्रृंखला डी	-206.6 (217.9)	-198.4 (218.5)
श्रृंखला ई	596.5 (425.5)	857.2** (409.9)
श्रृंखला एफ	6199.6 *** (506.3)	6277.2*** (501.4)
श्रृंखला जी	-3832.0*** (1354.5)	-3491.7*** (1343.7)
नवीनतम वार्षिक राजस्व	0.00000142 (0.000000917)	0.00000179* (0.000000924)
सेक्टर - बीमा		200.0* (105.9)
सेक्टर - वित्त और लेखा	-251.8*** (122.7)	
कोंस्टेंट	433.2 (385.4)	166.9 (367.5)
अवलोकन की संख्या	158	158
वाल्ड सीएचआईएसक्यू (पी-मूल्य)	794.5 (0.000)	802.3 (0.000)

1. नमूना: 2018 ति 4-2020ति3
2. स्टार्ट-अप्स के लिए दोनों स्पेसिफिकेशन नियंत्रित हैं फंडिंग के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है
3. हौसमैन टेस्ट और ब्रेस्च-पैगन एलएम परीक्षण रैंडम इफेक्ट्स स्पेसिफिकेशन का समर्थन करते हैं
4. * , **, *** दर्शाता है सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का महत्व
5. स्टार्ट-अप लगातार पिचों या राउंड (बीज, श्रृंखला ए, बी, सी और इसी तरह) में इक्विटी जुटाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो मोटे तौर पर व्यवसाय के विकास/पैमाने का अनुसरण करते हैं, और उस चरण में व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। शुरुआती दौर का इस्तेमाल बाजार में पैर जमाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बाद के दौरों का इस्तेमाल विस्तार के लिए किया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ आकलन

देखा गया है कि एकत्र किए गए धन की राशि, कर्मचारी गणना का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके अलावा, बाद की फंडिंग स्टेज में अधिक परिपक्व फर्मों के पास रोजगार की अधिक संभावना है। ऑपरेशनल डोमेन का आकलन बताता है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास उच्च कर्मचारी की गिनती (सर्वेयर के ऑन-ग्राउंड स्टाफ की आवश्यकता के कारण) होने की अधिक संभावना है, जबकि अत्यधिक विशिष्ट फिनटेक जैसे कि अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी डोमेन में बहुत थोड़े से कुशल कर्मचारियों के साथ संचालित होने की अधिक संभावना है।

(Contd.)

स्टार्ट - अप से उम्मीद है कि वे युवा वर्ग के लिए नौकरियां सृजित करेंगे, ये परिणाम दो नीतिगत मार्ग प्रदान करते हैं। पहला, जबकि उत्पादक निवेश को स्टार्ट - अप में स्वतंत्र रूप से चैनलाइज़ करना महत्वपूर्ण है , अधिमानी नीतियां उन सब-सेक्टर्स के विकास में मदद कर सकती हैं जिनमें कम और अर्ध-कुशल रोजगार सृजन की संभावना है। दूसरा, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास न केवल एक ईकोसिस्टम हो जो नई उद्यमशीलता को बढ़ावा देता हो, बल्कि वह घरेलू स्टार्ट-अप्स की क्षमता निर्माण में मदद करता हो और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करता हो।

जबकि फिन टेक फर्म्स ने शुरू में अपने जोखिम और व्यवसाय मॉडल पर कोविड -19 के अनिश्चित प्रभाव के कारण लॉकडाउन के दौरान परिचालन को निलंबित कर दिया था, बाद में वर्ष में तनाव कम होने लगा और इस क्षेत्र के बारे में काफी आशावाद बना हुआ है। उनका परिचालन सीधे माल और लोगों की आवाजाही पर निर्भर नहीं करता है, और वे घर से काम की संस्कृति के लिए अधिक अनुकूल हैं। महामारी ने ऑपरेशनों का विस्तार करने का एक अवसर भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि उम्मीद है कि सामान्य जनता नई प्रौद्योगिकी (एनपीसीआई, 2021) को अपनाने में और भी अधिक सहजता के साथ संकट से बाहर आ जाएगी।

संदर्भ:

1. एनपीसीआई (2021), ' डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन इन इंडिया, 2020' , 14 जनवरी।
2. फिलिपन, टी(2017), ' द फिनटेक अपर्चुनिटी ' , *बीआईएस वर्किंग पेपर नंबर* 655, अगस्त।
3. सहाय, आर, वॉन अल्लमेन, यू, लाहरेचे, ए, खेरा, पी, ओगावा, एस, बाजारबश, एम, और बीटन, के (2020), ' द प्रॉमिस ऑफ फिनटेक ' : वित्तीय समावेश पोस्ट कोविड-19 युग ' , *मौद्रिक और पूंजी बाजार विभागीय पेपर श्रृंखला* संख्या 20/09, आईएमएफ़।
4. ट्रैक्सन (2021), डेटाबेस 5 मई 2021 को एक्सेस किया गया।

के रूप में पहले अध्यक्ष और उद्योग के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित अन्य सदस्यों के साथ एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की स्थापना की थी। आरबीआईएच की स्थापना, रिज़र्व बैंक के वित्त क्षेत्र में तकनीकी विकास को जारी रखने के प्रयासों का एक सिलसिला है, जिसमें अधिक सक्रिय भागीदारी और संगठित परिवर्तनों को निष्क्रिय करने के बजाय यादृच्छिक परिवर्तनों को आकार देने की मंशा है। आरबीआईएच को टेक इनोवेटर्स के साथ-साथ शिक्षाविदों के सहयोग से, विचार के सृजन और विकास के लिए एक इको-सिस्टम बनाने की उम्मीद है।

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - कॉहर्ट - परीक्षण चरण

IX.40 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के लिए सक्षम करने की रूपरेखा को वेबसाइट पर 13 अगस्त, 2019 को रखा गया था, इसके बाद 'रिटेल पेमेंट्स' की घोषणा पहले कॉहर्ट के विषय के रूप में की गई थी। पहले समूह के तहत चयनित छह संस्थाओं के उत्पादों का परीक्षण 16 नवंबर, 2020 से शुरू हुआ। चार संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है, और परीक्षण प्रक्रिया के परिणामों का अंतिम मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर किया जा रहा है। पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों और परीक्षण के लिए निर्धारित शर्तों के पालन पर। शेष दो संस्थाएं अभी भी अपने उत्पादों का परीक्षण कर रही हैं। इन संस्थाओं के लिए परीक्षण चरण के पूरा होने में देरी तकनीकी गड़बड़ियों, संचालन के मुद्दों, व्यवधानों और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली असुविधाओं के कारण हुई थी।

IX.41 नवाचार को प्रोत्साहित करने और आरएस में भाग लेने के लिए आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने के लिए, संशोधित 'सक्षम फ्रेमवर्क' 16 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था। अपेक्षित निवल मालियत मौजूदा 25 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई थी। साझेदारी फर्म और सीमित देयता वाली भागीदारी को भी आरएस में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

IX.42 सीमा पार से भुगतान परिदृश्य को फिर से संगठित करने में सक्षम नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, आरएस के तहत दूसरा कॉहोर्ट जिसकी थीम थी 'क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स' , उसकी घोषणा दिनांक 16 दिसंबर 2020 को की गई थी। दूसरे कॉहोर्ट के तहत कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुमोदित मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, यह भी तय किया गया था कि अगले कॉहोर्ट की थीम 'एमएसएमई लेंडिंग' होगी ताकि एमएसएमई को ऋण देने में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रभावी और केंद्रित विनियमों के लिए रेगटेक समाधान

IX.43 रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) - विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) का एक सदस्य, के साथ फिनटेक पर सहयोग समझौता (सीओए) किया है। सीओए के दायरे में, अन्य बातों के साथ, आईएफसी रेगटेक/सुपरटेक पहलों पर ज्ञान/सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, रेगटेक अपनाने के स्तर और सीमा का आकलन करने के साथ-साथ आरई द्वारा रेगटेक के मौजूदा / संभावित उपयोग, जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने और आरई की अपेक्षाओं को समझने के लिए कुछ विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच एक खोजपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण ने देश में रेगटेक को अपनाने के स्तर की निष्पक्ष जानकारी दी है।

IX.44 रिज़र्व बैंक, वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क (जीएफ़आईएन) में शामिल हो गया है, जो वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध 50 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है। जीएफ़आईएन में तीन कार्य धाराएँ हैं, नामत: (i) "सहयोग", जो नवाचार के अनुभवों को सहयोग करने और साझा करने में विनियामकों की मदद करने पर केंद्रित है, (ii) "क्रॉस-बॉर्डर टेस्टिंग", जो नए उत्पादों और सेवाओं के क्रॉस-बॉर्डर परीक्षण को चलाने पर केंद्रित है, और (iii) "रेगटेक और सीखे गए पाठ", जो रेगटेक ज्ञान को साझा करने, संभावित क्रॉस-ज्यूरिसडिक्सन दक्षता जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर सहयोग पर केंद्रित है। जीएफ़आईएन की उपरोक्त तीन कार्य धाराओं में से किसी में भी भागीदारी से भारत में फिनटेक से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फिनटेक पर अंतर – विनियामक तकनीकी समूह

IX.45 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति के तत्वावधान में 'फिनटेक पर एक अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (फिनटेक पर आईआरटीजी)' का गठन किया गया है। यह समूह डीपीएसएस के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) की अध्यक्षता में अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों यथा सेबी, आईआरडीएआई, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) से मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और एमईआईटीवाई से एक-एक प्रतिनिधि को शामिल करता है। मार्च 2021 में आयोजित इसकी पहली बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सदस्यों के बीच अपनी नवाचार पहलों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा, सदस्यों ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए हाइब्रिड उत्पादों / सेवाओं के लिए इंटर-ऑपरेटेबल आरएस तंत्र पर मॉडल का सुझाव देने पर भी सहमति व्यक्त की।

2021-22 के लिए एजेंडा

IX.46 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-21' में पहचाने गए गोल पोस्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई मदें निम्नलिखित हैं :

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता की समीक्षा: रिजर्व बैंक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में गैर-बैंकों की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ निपटान जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए चर्चा शुरू करेगा।

ग्राहक सुविधा में सुधार

- *ऑफ़लाइन भुगतान समाधान पर:* रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि ऑफ़लाइन भुगतान समाधान के लिए पायलट योजनाएं 31 मार्च, 2021 तक संचालित की जाएंगी। इन पायलट योजनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर, रिज़र्व बैंक देश में ऑफ़लाइन भुगतान समाधानों को लागू करने का निर्णय करेगा।
- *कार्ड योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निपटान सेवाएँ:* रिज़र्व बैंक, कार्ड भुगतान नेटवर्क द्वारा संसाधित कार्ड लेनदेन के निपटान की सुविधा की संभावना तलाशेगा, जिसमें कार्ड भुगतान नेटवर्क के खातों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के साथ रखरखाव किया जाएगा। रिज़र्व

बैंक की बहियों में कार्ड लेनदेन के निपटान से कार्ड लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा।

वहनीय लागत सुनिश्चित करना

- *इनबाउंड क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस के लिए कॉरिडोर और शुल्क की समीक्षा:* रिज़र्व बैंक उस भूमिका की जांच करेगा कि भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) कम लागत पर निर्बाध प्रेषण सुनिश्चित कर सकते हैं।

बढ़ता हुआ आत्मविश्वास

- *भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग*: रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, एटीएम और व्यापार संवाददाताओं (बीसी) के स्थान और व्यवसाय के विवरण को पकड़ने के लिए एक ढांचा स्थापित किया है। पीओएस टर्मिनलों और अन्य भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक समान ढांचे का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।
- *थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम-वाइड सिक्योरिटी:* रिजर्व बैंक गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए एक अलग विनियामक ढांचे की आवश्यकता की जांच करेगा, जिसे आउटसोर्सिंग व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति और सुरक्षा नियंत्रण और स्पष्टता की आवश्यकता और विनियमित संस्थाओं की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व को देखते हुए किया जाएगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.47 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इसके प्रभाव महामारी के अंतर्गत व्यापार निरंतरता पर और साथ ही साथ सामान्य व्यवसाय की दक्षता उन्नयन में महसूस किए गए, रिजर्व के भीतर और साथ ही बाहर। बैंक रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उत्पादों और प्रथाओं को लागू किया है, जो कार्यस्थलों को कागज रहित, सहयोगी और ऊर्जा-कुशल बनाते हैं। एक कायम रहने वाला सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा, जो बदलती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल है और जो लचीलापन, विश्वसनीयता, सुरक्षा, अखंडता और कम लागत वाला है पर ध्यान केंद्रित करके परिचालन उत्कृष्टता की आवश्यकता से प्रेरित था।

IX.48 रिज़र्व बैंक ने अपने आईसीटी सिस्टम को अगली पीढ़ी की एप्लीकेशनों के लिए उच्च- उपलब्धता, मापनीयता, बढ़ी हुई सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए एक इनबिल्ट आर्किटेक्चर के साथ उन्नत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। सुरक्षा और गोपनीयता, जो डिजाइन और आईटी प्रणालियों और प्रथाओं की रचना में सन्निहित हैं, वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

IX.49 महामारी के समय में रिज़र्व बैंक के आईसीटी बुनियादी ढांचे का निर्बाध कामकाज जिसमें महत्वपूर्ण भुगतान एप्लिकेशन एनईएफटी और आरटीजीएस शामिल हैं; कोर बैंकिंग समाधान ई-कुबेर; मुद्रा के लिए ट्रेजरी संचालन, विदेशी मुद्रा बाजार और सरकारों (केंद्र और राज्यों) के लिए ऋण प्रबंधन, विभाग के लचीलेपन और कार्य कुशलता को दर्शाता है। वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर में आरटीजीएस 24x365 की सुविधा के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण में समर्थन शामिल है; ई-कुबेर के माध्यम से घरेलू रक्षा पेंशन भुगतान का संवितरण और हाल ही में लॉन्च किए गए "सारथी" (यानी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) एप्लिकेशन के साथ पेपरलेस कार्यालय का कार्यान्वयन।

प्रमुख पहल

आरटीजीएस 24x365

IX.50 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सिस्टम 14 दिसंबर, 2020 (बॉक्स IX.3) की मध्यरात्रि के समय 24X365 आधार पर लाइव हुआ। जबकि भारत पहले से ही खुदरा भुगतान प्रणालियों में अग्रणी के रूप में पहचाना जाता है, 24x365 आरटीजीएस का शुभारंभ भारत को दुनिया भर में बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में अग्रणी बनाता है। इस विकास के साथ, देश अब दुनिया का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जहां वित्तीय प्रणाली एकीकृत हैं और समय और स्थान पर निर्भर नहीं हैं।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) सिस्टम

IX.51 सरकारी उधार की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों (एबी) / उप-स्वायत्त निकायों (उप-एबी), ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के लिए निधि प्रवाह की दक्षता बढ़ाने के लिए

बॉक्स IX.3

आरटीजीएस 24x365, देश के अनुभव से सबक सहित

आरटीजीएस प्रणाली, एक बड़े मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, वास्तविक समय के आधार पर किसी भी दो आरटीजीएस सक्षम बैंक खातों के बीच धन के अंतरण को सक्षम बनाता है। आरटीजीएस, जिसने 26 मार्च 2004 को चार बैंकों को शामिल करते हुए एक सॉफ्ट लॉन्च के साथ अपना परिचालन शुरू किया, अब 242 प्रतिभागियों की सदस्यता है। 2004 में अपनी स्थापना के बाद से, आरटीजीएस में कई बदलाव हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है 2013 में आईएसओ 20022 संदेश मानकों को अपनाना। 26 अगस्त, 2019 को लागू अंतिम विस्तार के साथ आरटीजीएस परिचालन समय को नियमित अंतराल पर बढ़ाया गया, आरटीजीएस प्रणाली को 7:00 पूर्वाह्न से 7:45 बजे के बीच उपलब्ध कराया गया। चौबीसों घंटे संचालन शुरू करने से पहले, आरटीजीएस प्रणाली ₹4.17 लाख करोड़ के मूल्य के लिए प्रतिदिन 6.35 लाख लेनदेन संभाल रही थी।

दिसंबर 2019 में 24x365 आधार पर एनईएफटी के सफलतापूर्वक लागू होने और उसके बाद से सुचारू संचालन के बाद, यह महसूस किया गया कि, भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने और व्यापक भुगतान लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए और घरेलू कॉरपोरेट और संस्थानों को व्यापक भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए, आरटीजीएस प्रणाली भी चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी कि, आरटीजीएस वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। यह सब 14 दिसंबर, 2020 से आरटीजीएस 24x365 के लॉन्च के साथ समाप्त हुआ। लॉन्च के बाद, सप्ताह के दिनों में औसत दैनिक मात्रा में मामूली वृद्धि हुई। 28 दिसंबर, 2020 को, आरटीजीएस प्रणाली ने 9.56 लाख ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन के सर्वकालिक उच्च स्तर को संभाला। आरटीजीएस प्रणाली वर्तमान में शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों सहित सभी दिनों में उपलब्ध है और मध्यरात्रि के आसपास दिन के अंत की गतिविधि को पूरा करने में लगने वाले समय को छोड़कर हर समय उपलब्ध है।

देश के अनुभव से सबक

भारत 24x365 आधार पर आरटीजीएस उपलब्ध कराने वाले बहुत कम देशों में से एक है। 24x365 सेवा प्रदान करने वाले दो अन्य देश मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका हैं। दक्षिण अफ्रीका का आरटीजीएस सिस्टम जिसे साउथ अफ्रीकन मल्टीपल ऑप्शन सेटलमेंट (एसएएमओएस) सिस्टम के रूप में जाना जाता है, को बड़े मूल्य के इंटरबैंक लेनदेन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे घरेलू इंटरबैंक सेटलमेंट प्रथाओं को लाने के लिए विकसित किया गया था। एसएएमओएस सिस्टम 9 मार्च 1998 को अपनी स्थापना के बाद से 24x365 काम कर रहा है। इसमें उसी दिन निपटान की सुविधा अगस्त, 2004 से आरंभ हो गई थी। सिस्टम आधी रात को बंद हो जाता है और अगले कारोबारी दिन में चला जाता है, जबकि निर्देश पूरे दिन प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक छुट्टियों और रविवार को, सिस्टम खुदरा बैच निपटान की अनुमति देता है। बैंकों को प्रत्येक दिन के लिए अंतिम चलनिधि स्थिति का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, 16:30 और 16:55 के बीच 25 मिनट की एक विंडो आवंटित की जाती है।

मेक्सिको इंटरबैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम (एसपीआई) संचालित करता है, एक बड़े मूल्य का फंड ट्रांसफर सिस्टम जिसमें प्रतिभागी स्वयं या अपने ग्राहकों के बीच स्थानांतरण कर सकते हैं। इस प्रणाली का संचालन 13 अगस्त 2004 से शुरू हुआ। प्रतिभागियों को अपने खातों के ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं है। केंद्रीय बैंक, खाताधारक सेवा प्रणाली (एसआईएसी) के माध्यम से मैक्सिकन वित्तीय एजेंटों के खातों का प्रबंधन करता है, जिसका उपयोग प्रतिभागियों को चलनिधि प्रदान करने के लिए किया जाता है। केवल मेक्सिको में पंजीकृत बैंक ही एसआईएसी प्रणाली में संपार्श्विक इंट्राडे ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। एसपीईआई सिस्टम 19:00 बजे से 17:35 घंटे के बीच काम करता है।

स्रोत : आरबीआई, बीआईएस और बैंको डी मेक्सिको (सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको)।

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) की सिफारिश के साथ 1 अगस्त 2020 से चरणबद्ध विस्तार लागू किया गया था। रिज़र्व बैंक टीएसए में प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है। एबी और सब-एबी के असाइनमेंट अकाउंट्स को ई-कुबेर में विभिन्न श्रेणियों की अनुदान-प्राप्त सहायता और निर्धारित सीमा के विरुद्ध व्यय को प्राप्त करने के लिए खोला जाता है। टीएसए एबी / यूपी -एबी को सिर्फ-इन-टाइम फंड रिलीज की सुविधा देता है और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) के ई-कुबेर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफ़एमएस) के बीच एकीकरण के साथ सीधे प्रक्रिया (एसटीपी) पर संचालित होता है।

रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संवितरण

IX.52 रिजर्व बैंक ने 7 सितंबर, 2020 से रक्षा पेंशनभोगियों के व्यापक पेंशन पैकेज (सीपीपी) को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया और ई-कुबेर में उन्नत ई-भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से मासिक पेंशन के स्वचालित क्रेडिट की सुविधा प्रदान की।

उन्नत मेल गेटवे और एक्सचेंज स्कैन समाधान का कार्यान्वयन

IX.53 एक उन्नत मेल गेटवे समाधान जो सहसंबद्ध आसूचना के माध्यम से बाहर से पारंपरिक और लक्षित हमलों से मेल मैसेजिंग सिस्टम (एमएमएस) के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लागू किया गया था। इसके अलावा, प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग, दस्तावेज़ शोषण का पता लगाने, संदिग्ध फ़ाइलों का कस्टम सैंडबॉक्स विश्लेषण और यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) का उपयोग करके एक एक्सचेंज विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करना, भी लागू किया गया था।

सारथी - इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.54 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और प्रतिरक्षित तरीके से दस्तावेज़ प्रसंस्करण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को सुविधाजनक बनाने और स्वचालित करने के लिए सारथी नामक अपनी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। इसके कार्यान्वयन से उत्पादकता में वृद्धि, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन और कम कागजी वातावरण लाने की उम्मीद है। एप्लिकेशन को सिक्योर रिमोट एक्सेस टूल के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसने कोविड-19 महामारी के समय में दूर से काम करना आसान बना दिया।

2020-21 के लिए एजेंडा: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.55 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नेक्स्ट जनरेशन का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एनजीएसएफएमएस): प्रस्तावित एनजीएसएफएमएस मौजूदा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) प्लेटफॉर्म को नया रूप देगा और आर्कीटेक्चर को सरल बनाएगा, मापनीयता और लचीलापन लाएगा और साथ ही आंतरिक एप्लीकेशनों जैसे आरटीजीएस , बैंकों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और एनईएफ़टी (उत्कर्ष) [पैरा IX.56] के बीच संदेश संचार के उद्यम ढांचे को बढ़ावा देगा।
- *इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्योरिटी लेयर का विस्तार और आधुनिकीकरण:* रिज़र्व बैंक की आंतरिक और परिधि फायरवॉल और घुसपैठ प्रबंधन समाधान [यानी, शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी)] सहित सुरक्षा परतों का समेकन, वृद्धि और स्वचालन, साइबर लचीलापन बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा (पैरा IX.57);
- *पूरे रिज़र्व बैंक में नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस तकनीक वाईफ़ाई-6:* वाई-फ़ाई अवसंरचना के उन्नयन के लिए रिज़र्व बैंक में नई उभरती हुई तकनीक वाईफ़ाई-6 को अपनाने की पहल की जाएगी, जिसमें नए एक्सेस पॉइंट (नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस तकनीक के साथ उपलब्ध, अर्थात वाईफ़ाई-6) तैनात किया जाएगा (पैरा IX.58); और

- *रिजर्व बैंक कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन2.0) के लिए एग्रीगेटर के रूप में:* केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक नई भुगतान प्रणाली लागू कर रहा है, अर्थात, कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0), पूर्ववर्ती ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली ओएलटीएएस को नई प्रणाली में शामिल करते हुए। ई-कुबेर में नई प्रणाली प्राधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त राशियों के लिए संग्रहकर्ता बैंक और एग्रीगेटर दोनों के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों को सुविधाजनक बनाएगी (पैरा IX.59)।

लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति

अगली पीढ़ी संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एनजीएसएफएमएस)

IX.56 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफ़एमएस) का उन्नयन किया। एसएफ़एमएस, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित एनईएफ़टी और आरटीजीएस दोनों के लिए उपयोग की जाने वाली संदेश प्रणाली है। उन्नत एसएफएमएस संस्करण सरलीकृत आर्कीटेक्चर, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में सर्वोत्तम उद्योग प्रथाएँ, भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए बहुत आवश्यक लचीलेपन के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण और कुछ बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा लेयर का विस्तार और आधुनिकीकरण

IX.57 कार्यालय परिसर के बाहर से रिज़र्व बैंक के एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रिमोट एक्सेस क्षमता को लागू करके सुरक्षा नियंत्रणों को बढ़ाया गया था। समाधान उपयोगकर्ता मल्टीफ़ैक्टर प्रमाणीकरण, एंड पॉइंट प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य जांच और एक सुरक्षित नेटवर्क गेटवे के माध्यम से सुरक्षित एक्सेस तनेल के माध्यम से कई स्तरों पर सुरक्षा जांच प्रदान करता है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के एंडपॉइंट और ईमेल सुरक्षा नियंत्रणों को बढ़ाने के लिए प्रीडिक्टिव मशीन लर्निंग और व्यवहार विश्लेषण के साथ नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस सल्यूशन भी लागू किया गया है।

रिज़र्व बैंक में सभी जगहों पर नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस प्रौद्योगिकी

IX.58 रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन (सीओबी) और अन्य चयनित कार्यालय स्थानों (चार महानगरों सहित) में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बेतार संचार सेवा (बीएसएस) संचार परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसने सभी कार्यालयों में इंटरनेट सेवा की समग्र परिचालन क्षमता, दृश्यता और विश्वसनीयता में सुधार किया है। प्लेटफ़ॉर्म दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक चैनल भी प्रदान करता है और किसी भी आकस्मिक स्थिति में वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क के लिए बैकअप के रूप में कार्य करता है।

टैक्स सूचना नेटवर्क के लिए रिजर्व बैंक एग्रीगेटर के रूप में

IX.59 रिजर्व बैंक प्रत्याक्ष कर लेखन प्रणली (प्रकल्प) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर प्रणाली के एकीकरण की प्रक्रिया में है। ई-कुबेर में नई प्रणाली रिजर्व बैंक को ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) के साथ-साथ एनईएफटी/आरटीजीएस मोड के माध्यम से और अधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त राशियों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगी।

2021-22 के लिए एजेंडा

IX.60 उत्कर्ष के तहत विभाग के 2021-22 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- *अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र:* अगली पीढ़ी के डेटा केंद्र की व्यवहार्यता की जांच और आने वाले वर्षों के लिए रिज़र्व बैंक के आईसीटी रोडमैप को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रोटोटाइप योजना तैयार करना;
- *डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन:* इसके मौजूदा डेटा केंद्रों के गैर-आईटी

बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जा रहा है। इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक है, जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है; तथा

- *अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन:* ई-कुबेर सरकार, बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ/के लिए रिजर्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाएं और परिचालन कर रहा है। तकनीकी विकास का लाभ उठाकर कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सिस्टम को रिफ्रेश किया जा रहा है और प्रक्रियाओं के उन्नत स्वचालन, बाहरी और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण का लचीलापन, परिवर्तन प्रबंधन में आसानी, बढ़ी हुई मॉड्यूलरिटी, व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, फ्रंट एंड सुधार की सुविधा, उत्पादकता में वृद्धि और मजबूत नियंत्रण प्रदान करेगा।

4. निष्कर्ष

IX.61 संक्षेप में, रिज़र्व बैंक ने देश में अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली विकसित करने और उपभोक्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए अपने प्रयास जारी रखे। इन पहलों ने बेहतर लेन-देन दक्षता और एक सुखद डिजिटल अनुभव के साथ कम नकदी वाले समाज की ओर सुगमता से बढ़ने की सुविधा प्रदान की है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के बीच, भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए भी प्रयास किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी अवसंरचना में वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे दक्षता में सुधार हुआ। इसने डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके सरकारी लेनदेन के लिए कवरेज का विस्तार करने में भी मदद की। आगे जाकर, भुगतान ईकोसिस्टम को मजबूत करना, जागरूकता बढ़ाना और देश भर में डिजिटल भुगतान की सुविधा सुनिश्चित करना रिज़र्व बैंक के ध्यान में प्रमुख क्षेत्र होंगे।